रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 369] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 25, 1983/भाद्र 3, 1905
No. 369] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 25, 1983/BHADRA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1983

का. आ. 616(अ) :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) और (च) के अधीन आदेश देने की शक्ति का प्रयोग, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी किस्म के पशु चारे के संबंध में, कर्नाटक राज्य की सरकार भी उस राज्य में करेगी ।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 1983 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

अनुसूची

पशु चारे की किस्में

1. रागी सूखी घास
2. चावल डंठल
3. कोडवी
4. मक्का की भूसी
5. ज्वार की भूसी
6. भूसी और चावल का भूसा
7. चने का भूसा
8. गेहूं चोकर
9. वितेलित चावल चोकर

[सं. 32-3/80-एल. डी.-2]

पी. एस. कोहली, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 1983

S.O. 616(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the power to make orders under clauses (d) and (f) of sub-section (2) of section 3 of the said Act shall, in relation to the cattle fodder of any of varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exerciseable also by the Government of the State of Karnataka in that State.

2. This order shall remain in force for the period commencing from the date of its publication in the Gazette of India and ending with the 30th September, 1983.

SCHEDULE

VARIETIES OF CATTLE FODDER

1. Ragi hay
2. Paddy straw

3. Kadabi
4. Maize hay
5. Jowar hay
6. Hay and Rice husk
7. Gram husk
8. Wheat bran
9. Deoiled Rice bran.

[F. No. 32-8|80-LDII]

P. S. KOHLI, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983